

(भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं.13017/04/2022-अ.भा.से.-I

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 21 फरवरी, 2022

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं हिमाचल प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से, केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री शाहजाद आलम, आईएएस (हिमाचल प्रदेश:2019) को सुश्री बिश्मा काजी, आईपीएस (एजीएमयूटी:2017) से विवाह करने के आधार पर हिमाचल प्रदेश संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग में स्थानांतरित करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिन्टो रोड,

नई दिल्ली